जल जीवन मिशन हर घर जल

ग्राम कार्य योजना (वी०ए०पी०)

विकास सेवा संस्था–

विश्वनाथपुर सरया, तिवारपुर–गोरखपुर।

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

अनुबन्ध–अ III

जल सम्बन्धी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की "जीवन सुगमता" को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप–समिति, अर्थात–पी. डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और जी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख 21/3/24
   ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख 24/3/24
   जी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख
2. ग्राम का नाम [illegible]
   ग्राम पंचायत का नाम [illegible]
   ब्लॉक का नाम [illegible]
   जिला का नाम [illegible]
   राज्य का नाम [illegible]
   ग्राम जनगणना कोड
   (यदि लागू हो तो बस्तियों की संख्या और उनके नाम)
   1. ग्राम पंचायत संकल्प
3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा 03 (संख्या) भवेषी कुओ को और 06 (संख्या) कपड़े धोने /स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमति आधार पर अर्थात 06 घन्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले 55 एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 2024 तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना।

हम ग्राम समुदाय के लोग अपनी अतः ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व प्रबंधन प्रचालन और रख–रखाव की जिम्मेदारी लेते है। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हे संदूषित नही करेंगे। हम अपने गदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी लागत का 10 % प्रचालन और रख–रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

II ग्राम पंचायत और/या इसकी उप–समिति, अर्थात पी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति, प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4.कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख–रखाव का नेतृत्व करेगी

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप–समिति) [illegible] समिति को क्या कहा जाता है [illegible]

अध्यक्ष का नाम [illegible]

लिंग [illegible]

आयु [illegible]

सदस्य का नाम	लिंग	आयु
[illegible]	[illegible]	57
[illegible]	[illegible]	40
[illegible]	[illegible]	57

III सामान्य विववरण

अनुबन्ध–X क

6.

2011 की जनगणना के अनुसारः
जनसंख्या.....1783.....
परिवारों की संख्या.....227.....
महिलाओं की संख्या.....730.....
पुरूषों की संख्या.....883.....
बच्चों की संख्या.....170.....
एफ.एच.टी.सी. की संख्या.....

वर्तमान पंचायत,/आंगनवाड़ी रिकार्ड के अनुसार
वर्तमान जनसंख्या.....7394.....
परिवारों की संख्या.....613.....
महिलाओं की संख्या.....3154.....
पुरषों की संख्या.....3589.....
बच्चों की संख्या.....651.....
एफ.एच.टी.सी. की संख्या.....613.....

7. जनसंख्या अनुमानः

मध्यवर्ती चरण–वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान में 18% वृद्धिः.....किलोमीटर /दिन (के.एल.डी.) अन्तिम

चरण–वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि..... किलोमीटर /दिन(के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेषी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड) .....1357.....
9. कृषि फसल पैटर्न.....खरीफ/रबी

प्रमुख फसलें खरीफ ✓ रबी ✓

गन्ना ✓
धान ✓
मक्का
कपास
गेहूँ ✓
अन्य

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में) .....800mm.....
11. स्थलाकृति (समतल, ढलान आदि).....समतल.....

IV. स्थिति विष्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया हैं? (हॉ/नही) हाँ
(ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)
13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया हैं?(हॉ/नही) हाँ
(ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14.

क्र0सं0	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी. श्रोत उपलब्ध है? (हां/नहीं)	क्या वर्षा जल संचयन संचरना उपलब्ध है? (हां/नहीं)	सोख्ता गड्ढ़ों की उपलब्धता है? (हां/नहीं)
1.	स्कूल	नहीं	नहीं	नहीं
2.	आंगनवाड़ी	नहीं	नहीं	नहीं
3.	स्वास्थ्य केन्द्र	नहीं	नहीं	नहीं
4.	ग्राम पंचायत भवन	नहीं	नहीं	नहीं
5.	अन्य			

अनुबन्ध–x क

पानी की कुल दैनिक आवष्यकता

15. पानी की वर्तमान आवष्यकता जनसंख्या X दर.....1.14..... के.एल.डी.
मवेषियों के लिए पानी की वर्तमान आवष्यकता.....10.8.....के.एल.डी.
मवेषी कुंडो की आवष्यक संख्या.....06.....
मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवष्यकता जनसंख्या X दर.....1.69.....के.एल.डी.
अन्तिम चरण के लिए पानी की आवष्यकता जनसंख्या X (दर/2.9.के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्तिः
17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति
18. पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित आंषिक कार्य स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त
19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट/वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें .....
21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख.....
22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता

स्रोत का नाम (अवस्थिति) .....हैंड पम्प.....

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृष्य तुलना	00 N.T.U.
पीएच	पट्टी रंग तुलना	7.00 PPm
पूर्ण लवणता	टिट्रीमेट्रिक विधि	15X 8 = 120
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रीमेट्रिक विधि	20X 9 = 180
क्लोराइट	टिट्रीमेट्रिक विधि	10X7 = 70
अमोनिया	दृष्य रंग तुलना	XX
फास्फेट	दृष्य रंग तुलना	XX
अवशिष्ट क्लोरीन	दृष्य रंग तुलना	XX
आयरन	दृष्य रंग तुलना	.01 PPm
नाइट्रेट	दृष्य रंग तुलना	.00 PPm
फ्लोराइट	दृष्य रंग तुलना	.02 PPm
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	दृष्य रंग तुलना	XX

कपड़े धोने/स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गांव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने और/या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराये जाने है .....05.....

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आबादी

अनुबन्ध–x क

स्रोत स्थायित्व

24. भू–जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हॉ/नही) नही

25. गांव में उन मौजूदा जल भंडारो की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवष्यक है

गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%).....71.36..... के.एल.डी.

अलग–अगल सोख्ता गड्ढों वालें परिवारों की संख्या.....26.....

उन परिवारों की संख्या जिन्हे सोख्ता गड्ढों की आवष्यकता है.....सभीको.....

आवष्यक सामुदायिक सोख्ता गड्ढों की संख्या.....06.....

क्या अपषिष्ट तलछट तालाब की आवष्यकता है? (हॉ/नही) हाँ

यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है.....तालाब.....

यदि नही तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?.....

V . जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे

- o अन्तिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यूपी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिंटिंग
- o पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू एस. को रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. क अनुकूल बनाया जा सके
- o निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू–जलस्प्रिंग वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवो में एस.वी.एस.
- o वाटर ग्रिड क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- o मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यूएस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित है।

28. अभिनिर्धारत जल स्रोत .....नल.....तकनीकी–आर्थिक और सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना.....जल जीवन मिशन.....

इस योजना के लिए अभिनिर्धारत भूमि.....ग्राम समाज.....

वह तारीख जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यूएस. विभाग को सौप दी जाएगी.....50.....

योजना की लागत..... भारत सरकार का हिस्सा..... राज्य. का हिस्सा.....50.....

समुदाय का हिस्सा.....10%..... व्यक्तिगत घरेलू अंशदान.....

वार्षिक प्रचलन व रख–रखव शुल्क.....50.....व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोकता शुल्क.....50.....

कोई दूरस्थ बसावट हो तो अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू एस.....

VI. मेल–जोल (निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल–जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवष्यकताओं के – अनुसार अभिनिर्धारित योंजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने है।

29.–

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य करकार का विभाग	संभावित गतिविधियों जो शुरू की जा सकती है।	प्रस्तावित निधि
चौदाहवां वित आयोग	ग्राम पंचायत	ग्रे–वाटर मैनेजमेन्ट ड्रेनेज सिस्टम आदि।	✓
स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एस0बी0एम0जी0)	पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय	ग्रे–वाटर मैनेजमेन्ट सोख्ता गड्ढे (व्यक्तिगत/सामुदायिक अपषिष्ट तलछट तालाब आदि)	✓
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन (एन.आ.एम.) घटग के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियां	✓

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य करकार का विभाग	संभावित गतिविधियां जो शुरू की जा सकती है	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संरक्षण विभाग	वाटरशेड प्रबन्धन/आर.डब्ल्यू.एच./कृतिम पुनर्भरण, जल निकायों का निर्माण/वृद्धि आदि।	✓
जल भंडारों की मरम्मत नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	✓
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.पी.वाई.)	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से सम्बन्धित कार्य	✓
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म–सिचाई का प्रावधान एववीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	✓
क्षतिपूरक नवीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और उद्यमिता मंत्रालय	न्वीकरणत्र वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन वॉटरशेड विकास आदि	✓
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एम. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आदि।	✓
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	✓
आकाक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियां	✓
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियां	✓
एम.पी.एल.ए.डी.	संख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्यन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अतः ग्राम अवसंरचना	✓
एम.एम.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अतः ग्राम अवसंरचना	✓
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अतः ग्राम अवसंरचना	✓
जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)			✓
दानदाता/प्रायोजक			✓

अनुबन्ध–x क

अध्यक्ष का हस्ताक्षर. .....धनपती देवी.....

पी.एच.ई.डी. / आर.डब्ल्यू एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर.....

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो) .....

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप–समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू एस.सी./पानी समिति, प्रयोक्तत समूह आदि का अध्यक्ष–

पंचायत सचिव का नाम और फोन नम्बर– अनुज वर्मा मो० 8739026552

जमीनी तकनीषियन का नाम और फोन नम्बर–

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिष्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबरः

1. कु० विन्दु राजभर मो०- 9919851969
2. चाँदनी देवी मो०- 9125957584
3. निशा मो०- 9919330446.
4. रिंकी देवी. मो०- 8896025077
5.

पम्प आपरेटर का नाम और फोन नंबरः ①

②

धनपती

ग्राम प्रधान
ग्रा0पं0-गौरा, स्रा0प0-[illegible]
वि0खं0-सादात, जिला-गाजी[illegible]र

विकास सेवा संस्थान
प्रतिनिधी
बजनी, गोरखपुर